(26)

कर,

निगरानी-3704/2018/शिवपुरी/भू०रा०

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१८ पुनरीक्षण

श्री जितेन्द्र त्यागी अभि० आज दि. 15-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 20-6-18 नियत।

रीडर राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

Jitendra Tyagi 15/6/18

श्रीमती अल्का जैन पत्नि श्री मुकेश जैन, आयु ४५ वर्ष, निवासी सरकूलर रोड, शिवपुरी, जिला शिवपुरी

----आवेदिका

बनाम

१) सरोज पत्नि स्व० विजयसिंह जाटव, आयु ५०साल, निवासी ग्राम कांकर

२) सीमा पत्नि उरमान, आयु २६ वर्ष, निवासी ग्राम फिरी, तैहसील व जिला शिवपुरी म०प्र०

३) देव पुत्र विजयसिंह, आयु १५ वर्ष,

४) विट्टू पुत्र विजयसिंह, आयु ५ साल,

क्रमांक ३ व ४ नाबालिगान वसरपरस्ती माँ श्रीमती सरोज पत्नि स्व० विजयसिंह, समस्त निवासीगण ग्राम कांकर, हाल निवासीगण गुढी गुडा का नाका, लश्कर ग्वालियर

५) श्रीमती नव्वी पत्नि लौहू, आयु ८० साल,

६) कोमलप्रसाद पुत्र लौहू, आयु ५६ वर्ष,

७) रामपाल पुत्र लौहू, आयु ४६ वर्ष,

८) अशोक पुत्र लौहू, आयु ५१ वर्ष,

९) कैदार पुत्र लौहू, आयु ४१ वर्ष,

१०) गोमती पुत्री लौहू, आयु ३९ वर्ष,

११) रामवती पुत्री लौहू, आयु ३७ वर्ष,

१२) ललिता पत्नि स्व० मदनलाल, आयु ३३ साल,

१३) मैना पुत्री स्व० मदनलाल, आयु ८ वर्ष,

१४) छोटी पुत्री स्व० मदनलाल, आयु ६ वर्ष,

१५) गोलू पुत्र स्व० मदनलाल, आयु ४साल,

क्रमांक १३, १४, १५ नाबालिगान वसरपरस्ती

--२

व संहिता १९५९
रा न्यायालय
क ५११ १६-१७
ीमती नव्वी आदि
लिखित प्रस्तुत है-
ा अपर तैहसीलदार,
ा पत्र प्रस्तुत किया,
२ में पारित
वेदक क्रमांक ५
किया। उक्त
रा लगभग दो
समक्ष अपील
त अपील आवेदन
होने से और किसी
रण न होने से
अवधि बाह्य होने
ा क्रमांक लगायत ४
- द्वितीय अपील
द्वारा अनावेदक
रित किया गया।
द्वारा अपील प्रस्तुत

मौं श्रीमती ललिता, निवासीगण ग्राम कांकर,
तैहसील व जिला शिवपुरी (म०प्र०)

-- ---अनावेदकगण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ विरुद्ध आदेश दिनांक २२-५-९८ पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर, प्रकरण क्रमांक ५।११। ९६-९७ अपील बउनवान श्रीमती सरोज आदि बनाम श्रीमती नव्वी आदि

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, अनावेदक क्रमांक ५ लगायत १५ द्वारा अपर तैहसीलदार, शिवपुरी के समक्ष फौती नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया; जिस पर से न्यायालय के पंजी क्रमांक ५।११-१२।१२ में पारित आदेश दिनांक १०-१-९२ के आदेश के अनुसार अनावेदक क्रमांक ५ लगायत१५ के हित में नामान्तरण आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध अनावेदक क्रमांक १ लगायत ४ द्वारा लगभग दो वर्ष पश्चात् अनुविभागिय अधिकारी, शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन में विलम्ब क्षमा हेतु पर्याप्त समाधान कारण न होने से और किसी प्रकार के विलम्ब से क्षमा के मामले में पर्याप्त कारण न होने के कारण अनावेदक क्रमांक १ लगायत ४ की अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गयी।

(ब) यहकि, उक्त आदेश के खिलाफ अनावेदक क्रमांक १लगायत ४ द्वारा अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुतकी, जिसमें अपर आयुक्त महोदय, ग्वालियर द्वारा अनावेदक क्रमांक १ लगायत ४ के हित में स्थगन आदेश पारित किया गया।

(स) यहकि, अनावेदक क्रमांक १ लगायत ४ द्वारा अपील प्रस्तुत

(25)

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3704 / / 2018 / शिवपुरी / भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
3 –7–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री जितेन्द्र त्यागी उपस्थित। अनावेदक के अधिवक्ता श्री ए0के0 अग्रवाल उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 511 / 2016–17 / अपील में पारित आदेश दिनांक 22.05.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 5 लगायत 15 द्वारा अपर तहसीलदार तहसील व जिला शिवपुरी के समक्ष फौती नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर से न्यायालय के पंजी कमांक 5 / 11–12 / 12 में पारित आदेश दिनांक 10.1.12 के आदेश के अनुसार अनावेदक कमांक 5 लगायत 15 के हित में नामांतरण आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 द्वारा लगभग दो वर्ष पश्चात अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन में विलंब क्षमा हेतु र्प्याप्त समाधान कारण न होने से अपील अवधि वाह्य होने से निरस्त की गई इससे से दुखित होकर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत जो उनके द्वारा पारित स्थगन दिनांक 22.5.18 के विरूद्व इस	

न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3— उभयपक्ष के अधिक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि अपर आयुक्त ग्वालियर के न्यायालय में संचालित प्रकरण में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा धारा—52 का आवेदन प्रस्तुत कर यह निवेदन किया था कि वादित भूमि पर स्थगन नहीं दिया गया तो पेट्रोल पंप भवन का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। अगर भवन निर्माण हो गया तो प्रस्तुत प्रकरण का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.5.18 को स्थगन दिया गया है जिसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित अंतिरिम आदेश दिनांक 22.5.18 स्थिर रखने योग्य है।

4—उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 511 / 2016—17 / अपील में पारित आदेश दिनांक 22.05.18 स्थिर रखा जाता है। आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है।

सदस्य